

**कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर**  
**(खनिज अनुभाग)**

संख्या 366 / 30-माइन्स / 2025-26

दिनांक 25/09/2025

**ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी स्थित जमरार परियोजना अंतर्गत निर्मित मुख्य नहर की खुदायी के दौरान उपखनिज लाल मौरम एवं हार्ड रॉक प्राप्त हुआ है, जो नहर के किनारे पर रखा पाया गया। खनिज विभाग की टीम द्वारा दिनांक 13.09.2025 को उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य नहर के किनारे उपखनिज लाल मौरम निम्न विवरण के अनुसार 03 खण्डों में रखी पायी गयी। समिति के सदस्यों द्वारा उक्त एकत्रित लाल मौरम की पैमाइश की गयी। पैमाइश/आंकलन के दौरान मौके पर एकत्रित उपखनिज लाल मौरम को समिति के सदस्यों द्वारा ई-निविदा/ई-नीलामी के माध्यम से निरस्तारण किये जाने की संरतुति की गयी है।

अतः शासनादेश सं। 2595/86-2018-12 (सा0)/2018 दिनांक- 03.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त कार्य स्थलों पर उपखनिज लाल मौरम की गण्डारित मात्रा को निम्न विवरण के अनुसार 03 माह की अल्प अवधि का अनुज्ञा पत्र हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर दिनांक 08-10-2025 से 18-10-2025 तक समय 5:00 PM बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	गण्डारण स्थल	खण्ड सं।	उपखनिज	स्थलों के अक्षांतर और देशांतरों की स्थिति	गण्डारित मात्रा घनमी० में	रायल्टी दर रू० प्रति घनमी०	गण्डारित मात्रा की कुल रायल्टी रू० में	अर्नेस्टमनी (कॉलम-09) में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महरौनी	जमरार बाघ मुख्य नहर	खण्ड-1	लाल मौरम	24°35'8.16"N-78°46'32.30"E से 24°35'04.58"N-78°46'40.64"E	27600.00	75	20,70,000.00	5,17,500.00
2			खण्ड-2	लाल मौरम	24°35'04.58"N-78°46'40.64"E से 24°35'01.03"N-78°46'51.53"E	12750.00	75	9,56,250.00	2,39,063.00
3			खण्ड-3	लाल मौरम	24°35'01.03"N-78°46'51.53"E से 24°34'58.86"N-78°47'02.13"E	11300.00	75	8,47,500.00	2,11,875.00

- गण्डारित मात्रा के निरस्तारण की अवधि 03 माह होगी।
- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)।
- गण्डारित खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिए नियमावली- 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।
- गण्डारित मात्रा (घनमीटर) को नियमावली-2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में जहाँ वह खनन क्षेत्र स्थित है, का अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 18-10-2025 तक NIC की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर निविदाकार को अपनी ई-निविदा अपलोड करनी होगी।
- विज्ञापित के अनुसार रात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में दिनांक 24-10-2025 को समय 11:00 AM बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
- पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के

साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अगिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय विडस खोले जाने के उपरान्त दिनांक 24-10-25 को समय 5.00 बजे के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। मूल अगिलेख एवं धरोहर धनराशि सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा दाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

गण्डारित खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा। जिला स्तर पर ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्य हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सहायता ली जा सकती है।

गण्डारित मात्रा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

गण्डारित मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गयी दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

क्षेत्र में गण्डारित खनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं संतुष्ट हो ले। अनुज्ञप्ति स्वीकृति के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी क्षतिपूर्ति अथवा दावेदारी स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा।

आवेदित क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, उसके गुण एवं मात्रा आदि के सम्बन्ध में आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं मौके पर जाकर सत्यापित करेगा तथा इस सम्बन्ध में बाद में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उ०प्र० परिहार नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों व समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन आवेदक को मान्य होगा है।

जिलाधिकारी,  
ललितपुर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०) लखनऊ।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद ललितपुर।
6. प्रभाषी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय 371/9, सिविल लाइन, झांसी।
7. जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
8. समस्त तहसीलदार जनपद ललितपुर को तहसील के सूचना पट पर चस्पा करने एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०) ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
10. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की एक प्रति कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर तत्काल चस्पा करने एवं प्रचार प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी,  
ललितपुर।